(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

**निगरानी प्रकरण कमांक 2059–पी0बी0आर0/2011 – विरूद्ध आदेश दिनांक 11–11–11 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण कमांक 232/09–10 निगरानी**

नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनलाल सिपानी
हाउसिंग कालोनी मंदसौर मध्यप्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– दिपेश पुत्र चिमनसिंह नैन
ग्राम चॉगली तहसील मंदसौर
2– श्रीमती आशा पत्नि प्रदीपकुमार गुप्ता
हाउसिंग कालोनी, मंदसौर मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(श्री एस0के0बाजपेयी अभिभाषक – आवेदक)
(श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक – अनावेदकगण)

आ दे श

(दिनांक 25–जनवरी 2016)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 232/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–11–11 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार मंदसौर को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम चांगली स्थित भूमि सर्वे कमांक 559 रकबा 1.340 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया है) उसके व्दारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11–6–08 से क्रय की है इसलिये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार मंदसौर ने प्रकरण कमांक 89 अ–6/2007–08 पंजीबद्ध किया। आवेदक ने नामान्तरण न किये जाने बावत् आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार मंदसौर ने उभय पक्ष को सुनकर आदेश दि0

13-3-2009 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व का वाद व्यवहार न्यायालय में लम्बित होने के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही स्थगित की एंव प्रकरण दायरे से कम कर दिया।

इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, मंदसौर के न्यायालय में अपील क्रमांक 104/08-09 करने पर आदेश दिनांक 30-10-09 से अपील ऑशिकरूप से स्वीकार कर सिविल न्यायालय की कार्यवाही की अद्यतन जानकारी लेकर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करने के निर्देश देते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 13-3-09 निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, मंदसौर के न्यायालय में निगरानी क्रमांक 14/09-10 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 4-6-10 से निगरानी अस्वीकार हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्र0क0 232/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 11-11-11 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार का आदेश अंतरिम था क्योंकि उन्होंने व्यवहार न्यायालय के प्रकरण के निराकरण तक नामान्तरण कार्यवाही रोकी है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है जिसके विरूद्ध एक निगरानी अपर आयुक्त को की गई है तथा दूसरी निगरानी अपर कलेक्टर को की गई। अनावेदकगण दो न्यायालयों से एक ही अनुतोष की मांग नहीं कर सकते । सिविल कोर्ट में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व किसका है इसका निराकरण नहीं हो जाता, राजस्व न्यायालय नामान्तरण कार्यवाही नहीं कर सकते, जिसके कारण तहसीलदार का निर्णय सही है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने

निरस्त करने में भूल की है इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अपर आयुक्त ने भी ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर एंव एस0डी0ओ0 के आदेशों को निरस्त करने एंव तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखने की प्रार्थना की।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश सॅशयपूर्ण है क्योंकि उन्होंने आदेश दिनांक 30.10.09 से अपील ऑशिक रूप से स्वीकार करके तहसीलदार को निर्देश दिये हैं कि सिविल न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही की जानकारी लेकर आगे कार्यवाही की जाय। इसलिये यह आदेश न अंतरिम स्वरूप का मालूम होता है और न हीं अंतिम स्वरूप का है इसलिये द्विअर्थी आदेश होने के कारण एंव MPLRC में एस.डी.ओ.के अंतिम आदेशों के विरूद्ध अपील आयुक्त को होती है एंव निगरानी कलेक्टर को होती है । पक्षकार को हानि न हो - इस उद्धेश्य से अपर कलेक्टर के यहां एंव अपर आयुक्त के यहां निगरानी की गई है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी , अपर आयुक्त के आदेश को यथावत् रखने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर व्दारा प्रकरण क्रमांक 104/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-10-09 का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार मंदसौर के प्रकरण क्रमांक 89-अ-6/07-08 में पारित आदेश दिनांक 13-3-2009 को निरस्त किया है तथा तहसीलदार को डायरेक्शन भी दिया है। अनावेदकगण ने एक निगरानी अपर कलेक्टर, मंदसौर के यहां की है जो प्र. क014/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-6-10 से निराकृत होकर अनुविभागीयअधिकारी मंदसौर के आदेश दि.30-10-09 को स्थिर रखा है, जबकि अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी क्रमांक

38/2009-10 को अनावेदकगण ने गैर हाजिर रहकर निरस्त करवाया है । एक ही आदेश की दो न्यायालयों में एक-साथ निगरानी प्रकरण दायर करना उचित नहीं था।

6/ प्रकरण में विचार योग्य है कि तहसीलदार मंदसौर द्वारा आदेश दिनांक 13-3-2009 से वादग्रस्त भूमि वावत् लिया गया निर्णय कि, स्वत्व का वाद व्यवहार न्यायालय में लम्बित से नामान्तरण कार्यवाही स्थगित की जाती है एंव प्रकरण दायरे से कम किया जाता है, अंतिम स्वरूप का माना जावेगा अथवा अंतिम स्वरूप का माना जावेगा ? जब तहसीलदार ने नामांत्रण की कार्यवाही रोकते हुये प्रकरण दायरे से कम करने का निर्णय लिया है स्पष्ट है कि प्रकरण दायरे से कम करने का अर्थ यही है कि नामान्तरण कार्यवाही रोकी नहीं गई ,अपितु प्रकरण समाप्त कर दिया गया है क्योंकि दायरे से प्रकरण तभी निरस्त किया जाता है जब प्रकरण अंतिम रूप से निराकृत कर दिया जाय। अतएव तहसीलदार का आदेश दिनांक 13-3-2009 अंतिम आदेश है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मंदसौर ने अपील ग्राह्य कर सुनवाई करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर, मंदसौर ने निगरानी प्रकरण कमांक 14/09-10 में पारित आदेश दिनांक 4-6-10 से निगरानी अस्वीकार करने में एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 232/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 11-11-11 से निगरानी निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है।

7/ प्रकरण में इस पर भी विचार करना है कि क्या व्यवहार न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के स्वत्व वावत् मामला लंबित रहते हुये विक्रय पत्र के आधार पर की जाने वाली नामान्तरण कार्यवाही को व्यवहार न्यायालय के निराकरण तक रोके रखना चाहिये। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1059 की धारा 109 एंव 110 के अंतर्गत

नामान्तरण कार्यवाही करने से स्वत्व का निराकरण नहीं होता है अपितु मात्र अभिलेख की प्रविष्टियों का अद्यतीकरण किया जाता है जिसके कारण व्यवहार न्यायालय में किसी भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व का वाद प्रचलित है एंव स्थगन नहीं है, तब व्यवहार न्यायलय से स्वत्व के अंतिम निराकरण तक नामान्तरण की कार्यवाही रोककर अभिलेख के अद्यतीकरण की कार्यवाही को रोकना उचित नहीं है। मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है और जब व्यवहार न्यायालय से स्वत्व वावत् अंतिम विनिश्चिय् होगा - राजस्व न्यायालय तद्नुसार पालन करने हेतु बाध्य हैं। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी,मंदसौर व्दारा आदेश दिनांक 13-3-2009, अपर कलेक्टर मंदसौर व्दारा आदेश दिनांक 4-6-10 में तथा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा आदेश दिनांक 11-11-11 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 232/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 11-11-11 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर